

को वास्त 11/4/23
पेश हो।

12.04.2023:—पत्रावली पेशी मे आई। वादी वकील उपस्थित नही आये। वादी व वादी अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन / वकालतन उपस्थित नही आये। वादी व उसके अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण वादपत्र वादी अदम पैरवी / अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।

Copy - Not Official

राज्यक कलक्टर
राज्यक अधिकाारी